पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 62

पंचायती राज मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		3390.13	0.42	3390.55	94.00	0.75	94.75	220.00	1.50	221.50	750.00	18.33	768.33
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**3390.13**	**0.42**	**3390.55**	**94.00**	**0.75**	**94.75**	**220.00**	**1.50**	**221.50**	**750.00**	**18.33**	**768.33**
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.33	18.33
2. कार्य अनुसंधान एवं प्रचार													
2.01 कार्य अनुसंधान	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
2.02 अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
2.03 प्रचार माध्यम और प्रचार	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
जोड़- कार्य अनुसंधान एवं प्रचार		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*25.00*	...	*25.00*
3. डिजिटल भारत पहलकदमी : ई- पंचायत													
3.01 ई-पंचायतों विषयक मिशन मोड परियोजना	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22.00	...	22.00
3.02 पंचायत को प्रोत्साहन देना	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38.00	...	38.00
3.03 पंचायत भवन में एटीएम सेवाएं	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़- डिजिटल भारत पहलकदमी : ई- पंचायत		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*70.00*	...	*70.00*
4. क्षमता निर्माण : पंचायत सशक्तिकरण अभियान													
4.01 क्षमता निर्माण : पंचायत सशक्तिकरण अभियान	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	580.00	...	580.00
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	...	75.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*655.00*	...	*655.00*
सं.अ. 2015-2016													
5. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	19.53	0.42	19.95	25.00	0.75	25.75	20.00	1.50	21.50	...	...	...
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
6. पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेहिता प्रोत्साहन योजना	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7. मीडिया और प्रचार	2515	5.56	...	5.56	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
8. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2515	0.65	...	0.65	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
10. ग्रामीण व्यापार केंद्र	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. राज्यों को संसाधन सहायता	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें													
12. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना													
12.01 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.02 अवसंरचना विकास	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2515	43.11	...	43.11	50.00	...	50.00	169.00	...	169.00	...	...	...
	3601	482.54	...	482.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*525.65*	...	*525.65*	*50.00*	...	*50.00*	*169.00*	...	*169.00*	...	...	...
14. ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2515	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें		**525.65**	**...**	**525.65**	**50.00**	**...**	**50.00**	**169.00**	**...**	**169.00**	**...**	**...**	**...**
15. यूएन एजेंसियों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेशी सहायता का अंतरण	2515	1.61	...	1.61	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	...	...	...
16. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-अंशदान	2515	0.13	...	0.13	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**533.60**	**...**	**533.60**	**59.00**	**...**	**59.00**	**178.00**	**...**	**178.00**	**...**	**...**	**...**
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	22.00	...	22.00	...	...	...
राज्य योजनागत स्कीमें													
18. पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	2837.00	...	2837.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2837.00*	...	*2837.00*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए)	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राज्य योजनागत स्कीमें		**2837.00**	**...**	**2837.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़		***3390.13***	***0.42***	***3390.55***	***94.00***	***0.75***	***94.75***	***220.00***	***1.50***	***221.50***	***750.00***	***18.33***	***768.33***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	19.53	...	19.53	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	...	...	...
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	51.06	...	51.06	59.00	...	59.00	178.00	...	178.00	675.00	...	675.00
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	10.00	...	10.00	22.00	...	22.00	75.00	...	75.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**70.59**	**...**	**70.59**	**94.00**	**...**	**94.00**	**220.00**	**...**	**220.00**	**750.00**	**...**	**750.00**
राज्य योजना:													
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	43601	2837.00	...	2837.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43601	482.54	...	482.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - राज्य योजना		**3319.54**	**...**	**3319.54**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़		**3390.13**	**...**	**3390.13**	**94.00**	**...**	**94.00**	**220.00**	**...**	**220.00**	**750.00**	**...**	**750.00**

1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं : यह प्रावधान पंचायतीराज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. 2.कार्रवाई अनुसंधान एवं प्रचार : 201 बजट प्रावधान के साथ कार्य अनुसंधान राज्य सरकारों के परामर्श से उत्कृष्ट संस्थान के जरिए 14वें वित्त आयोग अधिनिर्णय केविशेष संदर्भ में ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायत विकास योजना की विकास के लिए मांग आधारित अनुसंधान तथा कार्य अनुसंधान और मूल्यांकन करने के लिए है।

2.02. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अंशदान देने और विदेशी सहायता के रूप में यूनएनडीपी द्वारा किए गए चुनिंदा राज्यों में पंचायतों/स्थानीय सुशासन के क्षमता निर्माण की परियोजना का प्रावधान किया गया है।

2.03. मीडिया एवं प्रचार : प्रावधान मीडिया और प्रचार के लिए किया गया है जिसका उपयोग श्रव्य, दृश्य, मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के विविध पहलुओं के संबंध में हितधारकों के बीच जागरूकता सृजन में किया जा रहा है।

3. डिजिटल इंडिया पहल - ई-पंचायत : ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना डिजिटल भारत कार्यक्रम के अधीन एक परियोजना है। इस परियोजना का प्रावधान चल रहे अनुमोदित कार्यकलापों को लागू करने और नई पहलकदमियों को प्रारंभ करने के लिए किया गया है ताकि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों और अनुप्रयोगों को और आगे बढ़ाया जा सके जिससे कि अभिशासन का त्वरित ढंग से नव-निर्माण किया जा सके और मिलियन ग्रामीण भारतीयों के जीवन में सुधार लाया जा सके।

3.02. पंचायतों को प्रोत्साहन : प्रावधान राज्यों में सर्वोत्तम निष्पादन कर रही पंचायतों और ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया है। इसका आशय पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करके विशेष प्रत्यन्न करते हुए पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिए आदर्श का सृजन करके उत्तम निष्पादन का अनुसरण करना और इस पर जनता का ध्यान केंद्रित करना है। इससे स्थानीय स्तर पर समग्र बेहतर अभिशासन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन होगा।

3.03. पंचायत भवनों में एटीमए सेवाएं : पंचायत भवन में एटीएम सेवा का प्रचलन वित्तीय समावेशन के उपाए के रूप में किया जा रहा है।

4.01. क्षमता निर्माण : पंचायत सशक्तिकरण अभियान : प्रावधान का पूर्वोत्तर से संबंधित घटक का उपयोग 14वें वित्त आयोग अधिनिर्णयन के अंतर्गत पंचायतों को निधियों के भारी अंतरण की दृष्टि से संस्थागत प्रशिक्षण क्षमता के निर्माण और ई-अभिशासन तथा राजस्व सृजन सहित क्षमता निर्माण और तंत्र विकास के लिए सहयोग के जरिए स्थानीय अभिशासन संस्था के रूप में कार्य करने हेतु पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है।